न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत—न्याय आपके द्वार 2016

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 34/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1—बालू पिता प्रताप जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भैरू पिता रामा जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—अर्जुन पिता रामा जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सुन्दर पुत्री रामा जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सोसर पुत्री रामा जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—देउ पुत्री रामा जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—घीसी बैवा रामा जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—केला पिता भुरा जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—बन्शी पिता गोकल जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—शम्भु पिता प्रताप जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 171 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 176 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 232 रकबा 0.12 है0, जो खाता संख्या 433 पर दर्ज रिकार्ड है। व आराजी संख्या 173 रकबा 0.20 है0 आराजी संख्या 174 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 233 रकबा 0.13 है0, खाता संख्या 489 पद दर्ज रिकार्ड है। कुल किता 6 कुल रकबा 1. 68 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान के दरम्यान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते है। तथा प्रार्थीगण को घास आदि काटने में ,फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षी को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थीगण ने दिनांक 25.04.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजियात के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा –राजस्थान
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बरः– 34 / 2018 प्रार्थनापत्र
बालू बलाई बनाम केला बलाई वगैo

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 04.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही है अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् संशोधन कराने का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल फाईल किया गया। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 171 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 176 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 232 रकबा 0.12 है0, जो खाता संख्या 433 पर दर्ज रिकार्ड है। व आराजी संख्या 173 रकबा 0.20 है0 आराजी संख्या 174 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 233 रकबा 0.13 है0, खाता संख्या 489 पद दर्ज रिकार्ड है। कुल किता 6 कुल रकबा 1.68 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 700/– अक्षरे सात सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

433 पर दर्ज रेकार्ड है ...